

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-21/2025 दिनांक: सितम्बर 25, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दस-डीजी-चार-125(14)/2018/355 दिनांक 10-09-2025 के साथ प्राप्त अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(40)/2025 दिनांक 01-09-2025 द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2025 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 10-09-2025 के क्रम में 30 सितम्बर, 2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01-10-2025 से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
46	88	960580101	रजनीकान्त	सुन्दर लाल	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
47	89	980731811	बृजेश कुमार	स्व० रामनाथ सिंह	औरैया	2025
48	90	960480195	प्रदीप कुमार	उदयपाल सिंह	उ०प्र० सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ	2025
49	92	980630600	मुकेश कुमार पुरोहित	महेन्द्र कुमार पुरोहित	जालौन	2025
50	93	980580077	सत्येन्द्र सिंह	बलवीर सिंह यादव	कमिश्नरेट आगरा	2025
51	94	980631007	सुरेन्द्र सिंह	जियालाल	जालौन	2025
52	95	980521117	राजीव यादव	विश्वनाथ सिंह	फतेहगढ़	2025
53	96	980590690	संजीव कुमार	बच्चन यादव	०४वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज	2025
54	97	980650178	विनोद कुमार	राम प्रकाश सिंह	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
55	99	980510012	कांती प्रसाद शर्मा	ओम प्रकाश शर्मा	एटा	2025

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।
4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।
5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क


(राजकुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :-

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/आगरा।
2. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, औरैया/जालौन/फतेहगढ़/एटा।
3. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ।
4. सेनानायक, चतुर्थ वाहिनी पीएसी प्रयागराज।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10-09-2025 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01-09-2025 के संदर्भ में।

स्व-घोषणा-पत्र

मैं----- (नाम/पदनाम व पीएनओ)
पुत्र----- निवासी-----
थाना----- जनपद----- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)
----- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) 'मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'
2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्म के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण-----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ----- में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- धारा----- थाना----- जनपद----- में लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी----- द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग----- वर्तमान में ----- स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।